



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 71]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28, 2015/चैत्र 7, 1937

No. 71]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28, 2015/CHAITRA 7, 1937

राज्य सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2015

सं. आरएस. 1/1/2015-एल.—राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2015 को दिया गया निम्नलिखित आदेश जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

“संविधान के अनुच्छेद 85 के खण्ड (2) के उप-खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा राज्य सभा का सत्रावसान करता हूँ।

28 मार्च, 2015

ह./-

राष्ट्रपति।”

डी.बी. सिंह, अपर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2015

No. RS. 1/1/2015-L.—The following Order by the President dated the 28th March, 2015 is published for general information :—

“In exercise of the powers conferred upon me by sub-clause (a) of clause (2) of article 85 of the Constitution, I hereby prorogue the Rajya Sabha.

March 28, 2015

Sd/-

PRESIDENT”

D. B. SINGH, Addl. Secy.